

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग,

क्रमांक प.10(121)नविवि / 3 / 2010

जयपुर दिनांक 20.07.2010

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद् द्वारा वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर जोन, अजमेर को शाहपुरा (जिला भीलवाडा) के नगरीय क्षेत्र जिसमें निम्नलिखित राजस्व ग्राम समिलित किये जाते हैं, का सिविक सर्वे करने एवं क्षितिज वर्ष 2031 तक के लिये मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त करती हैः—

राजस्व ग्राम का नाम		
क्र. सं.	ENGLISH	हिन्दी
1	SHAH PURA	शाहपुरा
2	KALYAN PURA	कल्याणपुरा
3	SURAJ PURA	सूरजपुरा
4	KALINJARI	कलिंजरी
5	SHIV PURA	शिवपुरा
6	MATHURANATH PURA	मथुरानाथपुरा
7	DHANI BHAVSAGAR	ढाणी भावसागर

राज्यपाल के आदेश से

(पुरुषोत्तम बियाणी)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र के असाधारण अंक मे करवाकर एक प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करे।
2. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान) राजस्थान, जयपुर।
5. वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर जोन, अजमेर।
6. जिला कलेक्टर, भीलवाडा।
7. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, शाहपुरा।
8. रक्षित पत्रावली।

(प्रदीप कपूर)
उप नगर नियोजक